


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादि्या  
उपास्थीर। वादि्या उषा देवी द्वारा डाकना पत्र  
प्रस्तुत कर उम्ह बाद को आगे नहीं  
चलाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया एवं वकील वादी  
को सुना गया। वादि्या के डाकना पत्र  
को स्वीकार किया गया। वाद को सभी  
स्तर पर विद्वो करने के आदेश दिये  
जाते हैं। पत्रावली कैशाल शुमार होकर  
नाम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल  
दफ्तर है। निर्वाप आज दिनांक 18 4 22  
को सरे वजलास सुनाया गया।

उपास्थीर

  
उप सण्ड अधिकारी  
मंगरोल जिला बारी (राजग)